भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 739

जिसका उत्तर 21 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई परियोजनाएं

739. श्रीमती प्रमिला बिसाई:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यों को बजटीय सहायता प्रदान करके अतिरिक्त सिंचाई सुविधा स्थापित करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई हैं;

(ख) उक्त वर्ष के लिए बजट के द्वारा राज्य-वार कुल कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को सहायता दी गई है और इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कौन-सी कार्ययोजना बनाई गई है; और

(ग) सभी राज्यों में गत पांच वर्षों के दौरान कुल कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं आरंभ की गई हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) तथा (ख) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, निधियन, निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधन और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के क्रम में भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु संबंधित स्कीमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-एआईबीपी के तहत निन्यानवे (99) चल रही बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनकी अधिकतम सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और अनुमानित शेष लागत 77595 करोड़ रूपए (31342 करोड़ रूपए का केन्द्रीय सहायता घटक) है, को दिसम्बर, 2019 तक चरणवार रूप में पूरा करने हेतु राज्यों के साथ परामर्श से प्राथमिकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन प्राथमिकीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी के लिए सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से निधियन तंत्र को अनुमोदन दिया गया है। केन्द्रीय सहायता समय-समय पर आवश्यकता अनुसार जारी की जाती है। उपर्युक्त परियोजनाओं में 66 (और सात चरण) बृहत परियोजनाएं हैं। वर्ष 2019-20 में जारी केन्द्रीय सहायता समेत इन बृहत परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 'पंजाब राज्य में रावी नदी पर शाहपुरकांडी बांध (राष्ट्रीय परियोजना) के कार्यान्वयन हेतु' वित्तपोषण भी अनुमोदित किया है। इसकी अनुमानित लागत 2715.70 करोड रूपए [सिंचाई घटक:776.96 करोड रूपए] है। सिंचाई घटक के शेष निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता 485.38 करोड रूपए है। परियोजना को केन्द्रीय सहायता देने के लिए वित्तपोषण की व्यवस्था नाबार्ड के

माध्यम से एलटीआईएफ के अंतर्गत की गई है। परियोजना से पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में क्रमश: 5000 हेक्टेयर और 32173 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। वर्ष 2019-20 के दौरान इस परियोजना के लिए 60 करोड रूपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26.09.2018 को 'सरहिंद फीडर की आरडी-119700 से 447927 तथा राजस्थान फीडर की आरडी-179000 से 496000 तक रिलाईनिंग' अनुमोदित की है। इन परियोजनाओं की अनुमोदित लागत 1976.75 करोड रूपए (केन्द्रीय सहायता घटक: इन परियोजनाओं के लिए पहले जारी 156 करोड रूपए की केन्द्रीय सहायता के अलावा 826.168 करोड रूपए) है। इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु वित्तपोषण की व्यवस्था नाबार्ड के माध्यम से एलटीआईएफ के अंतर्गत की गई है। राजस्थान फीडर की रिलाईनिंग से राजस्थान में 98,739 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई स्थिरीकरण/सुधार की योजना है। सरहिंद फीडर की रिलाईनिंग से 69,096 हेक्टेयर क्षेत्र (राजस्थान में 20,740 हेक्टेयर और पंजाब में 48,356 हेक्टेयर' में सिंचाई स्थिरीकरण/सुधार की योजना है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना को आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 90 के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। केन्द्र सरकार 01.04.2014 से परियोजना के केवल सिंचाई घटक की उस शेष लागत का शतप्रतिशत वित्तपोषण कर रही है जितनी उस तारीख को उसकी सिंचाई घटक की लागत थी। परियोजना की अधिकतम सिंचाई क्षमता 2.91 लाख हेक्टेयर है। इस परियोजना के लिए एआईबीपी के अंतर्गत 2013-14 तक 562.47 करोड रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है और 01.04.2014 के बाद राष्ट्रीय परियोजना के तौर पर इस परियोजना के लिए 6764.16 करोड रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

विदर्भ, मराठवाडा तथा शेष महाराष्ट्र के लम्बे समय से सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि की समस्या के समाधान के लिए सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान एक विशेष पैकेज अनुमोदित किया गया है।

इस विशेष पैकेज के अंतर्गत, 8 एमएमआई परियोजनाओं और 83 एसएमआई परियोजनाओं जिनकी शेष लागत 01.04.2018 को 13,651.607 करोड रूपए है, को 2022-23 तक चरणवार ढंग से पूरा करने की योजना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 3.77 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। बजटीय सहायता के जरिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 (अब तक) विशेष पैकेज के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के तौर पर क्रमश 500 करोड रूपए और 295 करोड रूपए जारी किए गए हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत हर खेत को पानी घटक के अंतर्गत सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) स्कीम और जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही हैं। एसएमआई और जल निकायों की आरआरआर स्कीमों को केन्द्रीय सहायता बजटीय सहायता के जरिए जारी की जा रही है। इन स्कीमों के लिए वर्ष 2019-20 में 750 करोड रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2019-20 में अब तक 648.29 करोड रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ग) वर्ष 2014-15 से आगे, एआईबीपी/पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 58 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं (विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएं) शामिल की गई हैं।

*****

अनुलग्नक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत शामिल प्राथमिकीकृत बृहत सिंचाई परियोजनाएं

(केन्द्रीय सहायता करोड रूपए में और क्षमता हजार हेक्टेयर में)

क्र.[illegible]	राज्य	[illegible]- [illegible] अंतर्गत प्राथमिकीकृत बृहत सिंचाई परियोजनाओं की संख्या	जारी केन्द्रीय [illegible] 2019-20 ([illegible])	सिंचाई क्षमता		पूरी [illegible] प्राथमिकीकृत बृहत सिंचाई परियोजनाओं की संख्या
				अधिकतम सिंचाई क्षमता	मार्च, 2019 [illegible] सृजित सिंचाई क्षमता	
1	आंध्र प्रदेश	4		235.75	188.92	0
2	असम	2		111.37	92.72	1
3	बिहार	2		37.27	17.89	0
4	छत्तीसगढ़	3		47.63	41.79	2
5	गोवा	1		14.52	11.40	0
6	गुजरात	1	485.35	1792.00	1638.31	0
7	जम्मू और कश्मीर	1		50.75	45.23	0
8	झारखंड	1		236.85	142.29	0
9	कर्नाटक	5		252.81	244.80	2
10	केरल	1		30.72	27.82	0
11	मध्य प्रदेश	10 और 7 चरण		813.79	721.98	4 और 3 चरण
12	महाराष्ट्र	16	22.46	792.44	443.96	6
13	मणिपुर	1		29.45	20.16	0
14	ओडिशा	6		311.53	210.78	3
15	पंजाब	2		91.95	80.33	2
16	राजस्थान	2		315.57	315.50	2
17	तेलंगाना	4	205.00	549.22	321.21	0
18	उत्तर प्रदेश	4	31.66	1653.05	1235.33	1
	[illegible]	**66 [illegible] 7 [illegible]**	**744.47**	**7366.66**	**5800.42**	**23 [illegible] 3 [illegible]**

******